

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 67/2024 (GCMS 2024/243)

M.K. Nagpal, 40 SBBJ Officers Colony, Near Metro Railway Station,
Mansarovar, Jaipur – 302020(Raj) (Mobile No. 99291-55948)

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय नगरपालिका, सूरतगढ़


26.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय नगरपालिका, सूरतगढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है और अपीलार्थी के आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों में प्रार्थी द्वारा 07 बिन्दुओं की सूचना अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़ से चाही गई है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़ से सम्बन्धित है। अद्योहस्ताक्षरकर्ता को नगरपालिका के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचनाओं हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़ के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील यहां से खारिज की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलार्थी को सूचित किया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.11.2024 को मेरे द्वारा लिखित आदेश के रूप में खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर